कायोलय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

श्री गजेन्द्र कुमार अवस्थी, प्रधानाध्यापक रामावि गूंदपुर, रामगढ, अलवर, क्र.सं. 262 वरिष्ठता क्रमांक 92 (2013–14) को डी.पी.सी. वर्ष 2017–18 में चयन उपरान्त काउन्सलिंग के माध्यम से उनके सहमति पत्र के आधार पर कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/ प्रधानाचार्य/डी.पी.सी.17–18/2017 दिनांक 14.07.2017 द्वारा राउमावि खारखण्डा, गंगरार, जिला चितौडगढ में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री अवस्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 3498/2022 गजेन्द्र कुमार अवस्थी बनाम राज. राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2022 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा याचिकार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के 02 सप्ताह के भीतर उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किए गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्री गजेन्द्र अवस्थी द्वारा अपनी पत्नी के वरिष्ठ अध्यापक पद पर अलवर जिले में कार्यरत रहने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि गहनकर, नगर भरतपुर/राउमावि खाखावाली, नगर भरतपुर/राउमावि पडलवास, नगर भरतपुर/रामउवि मुडोती, नगर भरतपुर अथवा राउमावि बेरू, नगर भरतपुर में किए जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी द्वारा स्वेच्छा से राउमावि खारखण्डा, गंगरार, जिला चितौडगढ का चयन किया गया था और उनके सम्बन्ध में विभागीय आदेश दिनांक 14.07.2017 काउन्सलिंग एवं सहमति के आधार पर ही जारी किया गया था। उक्त आदेश के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण भी किया जा चुका है।

याचिकार्थी प्रधानाचार्य समकक्ष पद पर पदस्थापित है जो कि एक राज्य सेवा का पद है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें आवश्यकतानुसार विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। किसी भी लोकसेवक को एक ही स्थान पर बने रहने का कोई निहित (VESTED) अधिकार नहीं है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित/स्थानान्तरित किए जाने से उसके विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 जो पूर्व के समस्त दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी किए गए है, में पति–पत्नी को एक ही स्थान/जिले में पदस्थापित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। तदनुसार याचिकार्थी श्री गजेन्द्र कुमार अवस्थी द्वारा की गई मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हो।

सत्यमेव जयते
Rajasthan Education Department

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/गजेन्द्र अवस्थी/3498/2022 दिनांकः 28/06/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/चितौडगढ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक अलवर/चितौडगढ।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. श्री गजेन्द्र कुमार अवस्थी, प्रधानाचार्य राउमावि खारखण्डा, गंगरार, जिला चितौडगढ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)